

Witness No.7.....For.....अभियोजन साक्षी.....

Deposition taken on the.....**16-05-2024**.....Day of....**गुरुवार**.... Witness apparent age **65 वर्ष**,..... State of Affirmation.....**शपथपूर्वक**.....my name is.....**रजमत साहू**W/of.....**श्री गेसूराम साहू**..... Occupation.....**गृहणी**Address.....**ग्राम-भानपुर, जिला-धमतरी, छ०ग०**

Time-04:10 PM

मुख्य परीक्षण द्वारा श्रीमती वर्षा राठौर अपर लोक अभियोजक

1. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानती हूँ। वह मेरा दमाद है इसलिए मैं उसे जानती हूँ। मृतिका द्रोपती मेरी बेटी थी। घटना वर्ष 2017 की है, निश्चित दिनांक आज मुझे याद नहीं है। मेरी बेटी का विवाह अभियुक्त गितेश्वर से वर्ष 2000 में सम्पन्न हुआ था।
2. मुझे मेरे दमाद अभियुक्त गितेश्वर के द्वारा फोन करके अपने टेमरी आने के लिए बोला था तब मैंने पूछा था कि क्या हुआ तो जवाब ने अभियुक्त ने कहा कि आओगे तब देखना। तब मैं अपने दमाद के गांव टेमरी मेरी पति के साथ रात 8.00 बजे पाहुंची थी तब मेरी बेटी को निचे उतारकर रखे थे। मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया था। मेरी बेटी का सोसाईड नोट मिला था।
3. आज मुझे याद नहीं है कि पुलिस ने मुझसे पूछताद की थी या नहीं।
टीप-इसी स्तर पर अपर लोक अभियोजक के द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किए जाने पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सुचक प्रश्न पुछे जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया। अभिलेख के अवलोकन पश्चात अनुमति प्रदान की गई।
4. साक्षी को उसके पुलिस कथन पढ़कर सुनाए जाने पर अ से अ भाग पर उल्लेखित "मेरे

पतिमेरी बेटी आत्महत्या कर ली" का कथन पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा नितेश गुप्ता अधिवक्ता वास्ते आरोपी

5. यह कहना सही है कि मेरी पुत्री मृतिका और मेरा दमाद गितेश्वर की शादी को 17 वर्ष हो गए थे और वे दोनों आपास में प्रेम पूर्वक रहते थे । यह कहना सही है कि 17 वर्ष तक मेरी पुत्री एवं दमाद के बीच कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता था ।

Time-04:23 PM

गवाहो को पढ़कर सुनाया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही होना स्वीकार किया गया ।

सही/-

सही/-

(वंदना दीपक देवांगन)

(वंदना दीपक देवांगन)

सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

रायपुर, (छ०ग०)

रायपुर, (छ०ग०)